सं.ए.32012/2/2017-डीआर

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(औषधि विनियमन अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

जनवरी, 16th 2020

अधिसूचना

यह मंत्रालय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में औषधि निरीक्षक (चिकित्सा उपकरण), सहायक औषधि नियंत्रक (भारत) (चिकित्सा उपकरण) और उप-औषधि नियंत्रक (भारत) (चिकित्सा उपकरण) के पदों के भर्ती नियम बनाने के एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमों का एक प्रारूप तैयार किया दिया गया है जो संलग्न है।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने संबंधी प्रस्ताव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों को भेजने से पहले इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हो तो, इस अधिसूचना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर आमंत्रित हैं। हितधारकों से निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त टिप्पणियां/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियमों/अपेक्षाओं के अनुसार विचार किया जायेगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा सं. 414 'ए', डी विंग, निर्माण भवन,नई दिल्ली–110011 के पते पर प्रस्तुत की जायें तथा सॉफ्ट कापी drugsdiv-mohfw@gov.in को भेजी जायें।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार

रामगोपाल सिंह

(आर.जी. सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं: 23063019

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या 1 (एक)*	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
औषधि निरीक्षक (भारत) (चिकित्सा उपकरण)	23*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर – 8	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पणी 1: केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। टिप्पणी 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**अनिवार्य:** विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग अथवा रासायनिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी या वैद्युत इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिकी अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या पॉलीमर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के साथ चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन अथवा डिजाइनिंग में एक वर्ष का अनुभव। **अथवा** विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग अथवा रसायनिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी या वैद्युत इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिकी अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या पॉलीमर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री के साथ चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन अथवा डिजाइनिंग में दो वर्ष का अनुभव।

						अथवा विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस या मेडिसिन में स्नातक डिग्री के साथ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन अथवा डिजाइनिंग में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिलनीय हैं। टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष।	100% सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष 2. औषधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पद को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शन

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या 1 (एक)*	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक औषधि नियंत्रक (भारत) (चिकित्सा उपकरण)	5*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनतुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर – 11	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पणी 1: केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। टिप्पणी 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**अनिवार्य:** विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग अथवा रासायनिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी या वैद्युत इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिकी अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या पॉलीमर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के साथ चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन अथवा डिजाइनिंग में तीन वर्ष का अनुभव। अथवा विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग अथवा रसायनिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी या वैद्युत इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिकी अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या पॉलीमर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री के साथ चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन अथवा डिजाइनिंग में चार वर्ष का अनुभव।

						अथवा विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस या मेडिसिन में स्नातक डिग्री के साथ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन अथवा डिजाइनिंग में चार वर्ष का अनुभव। टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिलनीय हैं। टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	सीधी भर्ती हेतु एक वर्ष।	75% सीधी भर्ती द्वारा। 25% प्रोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 में सहायक औषधि नियंत्रक (भारत) (चिकित्सा उपकरण) जो ग्रेड में छ: वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं और विभाग द्वारा यथानिर्धारित दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। टिप्पणी: जहां कनिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति हेतु विचारित किए जा रहे हैं, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा, बशर्ते कि उनकी अर्हता एवं अपेक्षित पात्रता सेवा ऐसी अर्हता अथवा पात्रता सेवा के आधे	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य – अध्यक्ष 2) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3) औषधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष 2. औषधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पद को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शन

से या दो वर्ष से कम न हो,जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों के साथ जो ऐसी अर्हता एवं पात्रता शर्तें पूर्णकर चुके हैं अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी): केंद्र / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / अर्द्धसरकारी / स्वायत्त / सांविधिक संगठनों के अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों। (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-9 अथवा लेवल-10 नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा रखते हों। **अथवा** (iii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 या समकक्ष नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में छः वर्ष की सेवा रखते हों; और (ख) कॉलम 7 में निर्धारित अर्हता और अनुभव धारी हों। टिप्पणी: 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,वे		

प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के एक ही अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्ग – बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अवधि सहित सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या 1 (एक)*	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप औषधि नियंत्रक (भारत) (चिकित्सा उपकरण)	2 *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर – 12	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पणी 1: केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। टिप्पणी 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	अनिवार्य: विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग अथवा रसायनिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी या वैद्युत इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिकी अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या पॉलीमर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के साथ चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन अथवा डिजाइनिंग में पांच वर्ष का अनुभव। **अथवा** विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग अथवा रसायनिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी या वैद्युत इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिकी अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या पॉलीमर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री के साथ चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन अथवा डिजाइनिंग में सात वर्ष का अनुभव।

						अथवा विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस या मेडिसिन में स्नातक डिग्री के साथ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन अथवा डिजाइनिंग में सात वर्ष का अनुभव। टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिलनीय हैं। टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	सीधी भर्ती हेतु एक वर्ष।	75% सीधी भर्ती द्वारा। 25% प्रोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 में सहायक औषधि नियंत्रक (भारत) (चिकित्सा उपकरण) जो ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं और विभाग द्वारा यथानिर्धारित दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। टिप्पणी: जहां कनिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति हेतु विचारित किए जा रहे हैं, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा, बशर्ते कि उनकी अर्हता एवं अपेक्षित पात्रता सेवा ऐसी अर्हता अथवा पात्रता सेवा के आधे	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य – अध्यक्ष 2) अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3) औषधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष 2. औषधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पद को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शन

से या दो वर्ष से कम न हो,जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों के साथ जो ऐसी अर्हता एवं पात्रता शर्तें पूर्णकर चुके हैं अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी): केंद्र / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / अर्द्धसरकारी / स्वायत्त / सांविधिक संगठनों के अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों। (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 या समकक्ष नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा रखते हों। अथवा (iii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10/9 या समकक्ष नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में दस वर्ष की सेवा रखते हों; और (ख) कॉलम 7 में निर्धारित अर्हता और अनुभव धारी हों। टिप्पणी: 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,वे		

प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के एक ही अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्ग – बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अवधि सहित सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		